

राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं, भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर
क्रमांक एफ20(131)निजमूस/पी.एफ.सी./2013-14/8786-8820 दिनांक: 30.09.15
परियोजना प्रबन्धक एवं अधीक्षण अभियन्ता(समस्त),
वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर,

विषय:- मनरेगा योजना, अन्य विभाग एवं राजस्थान वाटर कन्जरवेशन मिशन को सम्मिलित कर डी.पी.आर. प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक एफ20(131)निजमूस/पी.एफ.सी./2013-14/6983-7018 दिनांक 10.8.2015 के द्वारा आपको मनरेगा योजना एवं अन्य योजनाओं से अभिसरण कर जलग्रहण को सन्तुष्ट करने की डी.पी.आर. प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के बिन्दु संख्या 2 के अनुसरण में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार डी.पी.आर. तैयार कर निदेशालय को प्रस्तुत करें।

1. आई.डब्ल्यू.एम.पी.(2009-10) की परियोजनाओं हेतु लाईवलीहुड एक्टीविटीज के अन्तर्गत Committed Liability पूरी करने के उपरान्त शेष बची राशि के कार्य एन.आर.एम. एक्टीविटी अन्तर्गत प्रस्तावित किये जावें।
2. आई.डब्ल्यू.एम.पी.(2009-10) की परियोजनाओं हेतु उत्पादन गतिविधि के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु अति आवश्यक राशि का प्राक्धान रखते हुए एवं Committed Liability पूरी करने के उपरान्त शेष बची राशि के कार्य एन.आर.एम. एक्टीविटी अन्तर्गत प्रस्तावित किये जावें।
3. आई.डब्ल्यू.एम.पी. (2009-10) की परियोजना हेतु फ्लेक्सि फण्ड अन्तर्गत राशि के कार्य एन.आर.एम. एक्टीविटी के अन्तर्गत प्रस्तावित किये जावें।
3. इस प्रकार छयनित सभी गतिविधियों को नक्शे पर अंकन किया जावे।
4. संशोधन संलग्न प्रपत्र-1 के अनुसार किया जाना है।

(अनुरम भारद्वाज)
निदेशक

क्रमांक एफ20(131)निजमूस/पी.एफ.सी./2013-14/8786-8820

दिनांक: 30.9.15

आतिरिक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।

अतिरिक्त निदेशक(आई.डब्ल्यू.एम.पी.)